लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./एडी/अध्या.संवि./32/2008/90 भोपाल, दिनांक 3/9/08

:: **संशोधन** ::

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्र./शि.क./ए+डी/अजिनि संवि./18/2008/65–66, दिनांक 22.08.2008 के द्वारा अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति जारी की गई थी। उल्लेखित आदेश के स.क्र. 05 पर अंकित श्रीमती सारिका सक्सेना, अध्यापक (विज्ञान) शा. हाईस्कूल मोलीकलॉ नरसिंहगढ़, जिला–राजगढ़ को जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला–राजगढ़ से जिला पंचायत विदिशा की शा. हाईस्कूल बर्रो के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी ।

2/ श्रीमती सारिका सक्सेना ने निवेदन किया है कि उनके पति रायसेन जिले में कार्यरत है और उन्हें जनपद पंचायत सांची, जिला–रायसेन के पत्र क्र. 2432, दिनांक 27.08.08 के द्वारा शा. मावि मेहगांव, शा. मावि उमरिया एवं शा. मावि कानपोहरा के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है । अतः जिला पंचायत विदिशा के स्थान पर जनपद पंचायत सांची, जिला–रायसेन में संविलियन की अनुमति चाही गई है ।

3/ उपर्युक्त के प्रकाश में संचालनालय के उल्लेखित आदेश में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये जिला पंचायत विदिशा शा. हाईस्कूल बर्रो के स्थान पर जनपद पंचायत सांची, जिला–रायसेन के अन्तर्गत शा. मावि मेहगांव, शा. मावि उमरिया एवं शा. मावि कानपोहरा में संविलियन की अनुमति मान्य की जाती है।

शेष आदेश यथावत् रहेगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

03/9/08
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 3/9/08

पृष्ठा. क्र./शि.क./एडी/अध्या.संवि./32/2008/91
प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला–विदिशा / रायसेन/राजगढ़ म.प्र./
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–पंचायत, राजगढ़, विदिशा एवं रायसेन मध्यप्रदेश ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़, विदिशा एवं रायसेन मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला–राजगढ़/जनपद पंचायत सांची जिला–रायसेन मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

6. संबंधित–श्रीमती सारिका सक्सेना, अध्यापक (विज्ञान), शा. हाईस्कूल मोलीकलॉ नरसिंहगढ़, जिला–राजगढ़ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

3/9/08
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश